

8/12/2016

आवेदकगण सहित श्री आर.सी. गुप्ता अधिवक्ता।  
अनावेदक क0-1 व 2 द्वारा श्री तेजपाल सिंह तोमर  
अधिवक्ता।

अनावेद क0-03 द्वारा श्री ए.के. अग्रवाल अधिवक्ता।  
प्रकरण आज आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत है।  
आवेदक के मुख्य परीक्षण के शपथपत्र पेश हैं। साक्ष्य  
कराये जाने हेतु पक्षकारों को कहे जाने पर उभयपक्ष ने  
व्यक्त किया कि उनके बीच समझौते की चर्चा चल रही  
है। धनराशि को लेकर असहमति है, यदि मामले को  
मध्यस्थ कार्यवाही हेतु किसी सक्षम मध्यस्थ की ओर भेज  
दिया जावे तो समझौते की संभावना है। उभयपक्ष के उक्त  
निवेदन पर चूंकि दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति बाबत है जोकि  
कल्याणकारी उपबंध है इसलिये माध्यस्थ के माध्यम  
से एक बार उभयपक्ष के निवेदन पर मध्यस्था कार्यवाही के  
लिए मामला रिफर करना उचित होगा। अतः रैफरल ऑर्डर  
तैयार कर प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री डी.सी. थपलियाल प्रथम  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद की ओर भेजा जावे  
और प्रकरण मध्यांतर पश्चात रिपोर्ट हेतु रखा जावे। यदि  
सुलह नहीं होती है तो फिर साक्ष्य ली जायेगी।

प्रकरण मध्यांतर बाद पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च-

आवेदकगण सहित श्री आर.सी. गुप्ता अधिवक्ता।  
अनावेदक क0-1 व 2 द्वारा श्री तेजपाल सिंह तोमर  
अधिवक्ता।

अनावेदक क0-03 द्वारा श्री ए.के. अग्रवाल अधिवक्ता।  
प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री डी.सी. थपलियाल की ओर से  
मध्यस्थ कार्यवाही सफल होने एवं आवेदकगण व बीमा  
कंपनी के मध्य 04,40,000/-रूपये में सेटिलमेंट हो जाना  
लेख किया है। पक्षकारों की ओर से लिखित समझौता भी

8/12/16  
पी. सी. आर्य

सदस्य

द्वि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण  
गोहद जिला-भिण्ड (म प्र)



Case No. 14/16 amb of 20

Loph

~~21222~~

~~from 01/02/76~~

glutubed

~~Re~~

21221-22258  
2124 21222 21258